



# शैल

ई-पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाइन साप्ताहिक

निष्पक्ष  
एवं  
निर्भीक  
साप्ताहिक  
समाचार

f www.facebook.com/shailshamachar

वर्ष 43 अंक-30 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच.पी./93/एस.एम.एल. Valid upto 31-12-2020 सोमवार 23-30 जुलाई 2018 मूल्य पांच रूपए

## क्या प्रदेश भाजपा में बिछने लगी है बड़े विस्फोट की विसात

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री जय राम पिछले दिनों जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अभितशह का प्रदेश दौरा स्थगित होने के बाद दिल्ली जाकर उनसे मुलाकात करके वापिस लौटे तब से अटकलों का यह दौरा शुरू हुआ कि वह विभिन्न निगमों/बोर्डों में होने वाली संभावित तारजपोशीयों को अन्तिम रूप दे आये हैं। बल्कि यह अटकलें यहां तक पहुंच गयी कि ऐसे संभावित सदन नेताओं की एक सूची सोशल मीडिया से बाहर भी आ गयी। इस सूची में वाकायदा यह जिक्र है कि किस नेता को कहां ताजपोशी मिल रही है। इस सूची में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत्तपाल सत्ती को बीस सूत्रिय कार्यक्रम का अध्यक्ष दिखाया गया है। सत्ती का ऐसा जिक्र आने के बाद ऊना के ही एक नेता भनोट ने सोशल मीडिया में यह स्पष्टीकरण जारी किया कि पार्टी के नियमों के अनुसार अध्यक्ष रहते हुए सरकार में कोई पद स्वीकार नहीं कर सकते। भनोट ने सोशल मीडिया में आयी इस सूची को एकदम अफवाह करार देते हुए इस पर विश्वास नहीं करने को कहा है। लेकिन पार्टी अध्यक्ष सत्ती या सरकार की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। मुख्यमंत्री ने अपनी ऊना यात्रा के दौरान बंगाला में एक ब्यान में यह कहा था कि वह ऐसी ताजपोशीयों के हक में नहीं है। लेकिन जो सूची वायरल हुई है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सूची मीडिया की उपज नहीं है। बल्कि पार्टी के ही सूत्रों के माध्यम से बाहर आयी है इससे यह इंगित होता है कि इस सूची को एक विशेष मकसद से वायरल किया गया है।

इसी दौरान मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्रा से जोड़कर ही यह चर्चा भी बाहर आयी कि मन्त्रीयों के रिपोर्ट कार्डों के आधार पर मन्त्रीयों के विभागों में भी फेरबदल होने जा रहा है। लेकिन इसी फेरबदल की चर्चा के साथ ही मुख्यमंत्री को विभिन्न कार्यवाहियों शिशु धर्मा और मेहनत धर्माणी को लेकर भी एक पत्र मीडिया तक पहुंच गया। यह पत्र किसी विनोद कुमार नाभा शिमला के नाम से लिखा गया है। पत्र में दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाये गये हैं। इस पत्र को लेकर जब शैल ने इनसे संपर्क करने का प्रयास किया तो इनके फोन पर घंटी तो जाती रही लेकिन किसी ने फोन उठाया नहीं। मन्त्रीमण्डल में फेरबदल की चर्चा के

दौरान ही सोलन में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रश्मिधर सूद के यहां कुछ नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री और सरकार की कार्यप्रणाली पर चर्चा हुई। इस चर्चा की जो तर्ज रही उसको लेकर बैठक में ही शामिल एक नेता ने एतराज उठाया और बैठक से बाहर आ गये। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक की सूचना मुख्यमंत्री को देने के लिये उनके कार्यालय में इन नेता ने फोन किया लेकिन मुख्यमंत्री से इस नेता की बात नहीं हो पायी। फिर इसकी जानकारी ओएसडी शिशु धर्मा और मन्त्री मेहनत सिंह को भी दी गयी।

दूसरी ओर कुछ मन्त्रीयों के ओएसडी और अन्य स्टाफ में तालमेल के अभाव की शिकायतें चर्चा में आनी शुरू हो गयी हैं। वीरभद्र सरकार के दौरान सभी मन्त्रीयों को भी अपने विश्वास के ओएसडी अपने कार्यालयों में लगाने की सुविधा दे दी गयी थी। भाजपा सरकार के दौरान भी यह सुविधा यथावत जारी है। लेकिन भाजपा में यह ओएसडी नियुक्त करते हुए यह ध्यान रखा गया है कि व्यक्ति संघ की वैचारिक पृष्ठभूमि का ही हो ताकि संघ के लोगों को मन्त्रीयों के यहां अपने काम करवाने में सुविधा रहे। लेकिन जहां ओएसडी तो संघ की पृष्ठभूमि के लग गये वहीं पर स्टाफ में कुछ ऐसे लोग भी आ गये जो पूर्व में कांग्रेस के आदमी माने जाते थे। प्रदेश में कर्मचारियों की संख्या के आधार सबसे बड़ा विभाग शिक्षा का है। यहां पर शिक्षा मन्त्री के ओएसडी डा. पुण्डरी है जो पूर्व में शिक्षा विभाग में ही कार्यरत थे। यहां शिक्षा मन्त्री के कार्यालय में शायद एक ऐसा कर्मचारी भी अपना स्थान पा गया है जो पूर्व में मुख्यमंत्री के कार्यालय में रह चुका है और 2017 के एक विधानसभा उपचुनाव में टिकट की दावेदारी भी जता चुका है। इस तरह शिक्षा मन्त्री के कार्यालय में मन्त्री के ओएसडी और स्टाफ में बैठे ऐसे कर्मचारियों में तालमेल का ऐसा अभाव चल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति शिक्षा मन्त्री के कार्यालय में आकर ओएसडी के बारे में पूछता है तो उसे यह जवाब मिलता है कि हम नहीं जानते। भुक्त भोगियों के अनुसार कई बार तो यह जवाब अभद्रता की सीमा तक पहुंच जाते हैं। इस तरह वीरभद्र शासन में मन्त्रीयों के स्टाफ में या कुछ निकटस्थ अधिकारियों के स्टाफ में रह चुके

कर्मचारी आज भी वनवास भोगने की बजाये फिर से सत्ता सुख भोग रहे हैं। ऐसे लोगों का संघ की पृष्ठभूमि वाले ओएसडी से कतई तालमेल नहीं बैठ रहा है और इसका नुकसान आम आदमी को उठाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति तीन चार मन्त्रीयों के यहां चल रही है। अब यह स्थिति बाहर सार्वजनिक चर्चा का विषय बनती जा रही है और सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि उसे शासन की समझ ही नहीं आ रही है।

सरकार को बने हुए सात माह हो गये हैं इस अवधि में कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले बड़े पैमाने पर हो चुके हैं उसके बाद भी सरकार की प्रशासनिक समझ को लेकर अब तक अनुभवहीनता का आरोप लगना निश्चित रूप से सरकार की सियासी सेहत के लिये ठीक नहीं है जबकि अगले लोकसभा चुनावों की घोषणा कभी भी हो सकती है। ऐसे में सरकार की छवि को लेकर अब तक भी अनुभव हीनता का आरोप लगना चुनावी समझ पर एक सवालिया निशान खड़ा कर देता है। इस परिदृश्य में यदि सरकार की छवि का आकलन उसके अब तक के लिये गये फैसलों के आधार पर किया जाये तो कोई बहुत सन्तोषजनक स्थिति सामने नहीं आती है। क्योंकि बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो अन्त विरोधों से भरे हुए हैं उदाहरण के रूप में अभी जो विद्युत परियोजना एनएचपीसी को दी गयी हैं वह 70 वर्षों तक एनएचपीसी के पास रहेगी जबकि पहले ऐसी योजनाएं केवल चालीस वर्ष के लिये दी जाती थी। क्या इस फैसले से यह सन्देश नहीं जा रहा है कि अभी तक निजिक्त्र प्रदेश के विद्युत उत्पादन में निवेश के लिये आगे नहीं आ रहा है। इसी तरह ठेकेदारों को जहां निर्माण सामग्री खुले बाजार से खरीदने का फैसला सुनाया गया है वहीं पर इन ठेकेदारों को अपने स्टोनक्रशर लगाने की सुविधा प्रदान कर दी गयी है। इस फैसले से खनन के क्षेत्र में जो आरोप अब तक लगते आये हैं क्या उन्हें अब एक बड़ा फलक नहीं मिल जायेगा।

इस सारी वस्तुस्थिति का यदि निष्पक्ष आकलन किया जाये तो पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि यदि मुख्यमंत्री समय रहते न संभल पाये तो कोई बड़ा विस्फोट कभी भी घट सकता है। स्थिति बन चुकी है और इसका पूरा नियन्त्रण प्रदेश के तीनों

बड़े धुवों के हाथों में केन्द्रित है। जो मुख्यमंत्री की सियासी सेहत के लिये कभी भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। क्योंकि निकट भविष्य में लोकसभा चुनावों का सामना करना है। इन चुनावों के लिये अभी प्रत्याशियों कि सूची को अन्तिम रूप दिया जाना शेष है। जबकि सरकार की स्थिति यह हो गयी है कि कामगार बोर्ड में जो ताजपोशी की गयी थी वह अभी तक अमली शकल नहीं ले पायी है। चर्चा

है कि संघ का ही एक बड़ा नेता इसके खिलाफ है। ऐसे में ताजपोशीयों की जो सूची वायरल की गई है उसके पीछे भी मंशा इन्हे रोकने की ही मानी जा रही है। इस परिदृश्य में यह स्वभाविक सवाल उठता है कि जो लोग अभी से खुला पत्र वागने, सुविधाएं वायरल करने और बैठकें आयोजित करने की रणनीति पर आ गये हैं उनके ईरादे यहीं तक रुकने के नहीं हो सकते।

## वायरल हुआ खुला पत्र

खुला पत्र

Dharm-Dharmani

बंद गलतम।

विमलस में RSS का राज चल रहा है यह बात किसी से चोरी नहीं है। प्रदेश की जनता के नाम यंत्र खूब पत्र है ताकि लोगों को पता चल सके कि संघ सामने क्या दिखता है। परंतु इसके पीछे की कहानी क्या है? रिप्लिटी क्या है? मुख्यमंत्री बजराम ठाकुर को इस संघ की जानकारी है पर RSS के घोष के चलते वह कुछ नहीं करते। राकेश जयवाल, रश्मि ठाकुर ही नहीं बल्कि उनके असिस्टेंट, पीएस और पर्सनल स्टाफ भी RSS का जमा दिया है। जो संघ के विद्युत विचारों को दिखाता तो है पर ना तो वहां कोई इमानदारी रह गई है ना ही कोई पार्टी वालों का सम्मान पूरी तरह विरसवार होता है जो अधिकारी बात करने लगते हैं और गलत काम को रोकते हैं उनको मझी की तरह यह लोग बाहर निकाल देते हैं।

मुख्यमंत्री जी RSS को अपने अंदर झांक कर देखने को कहें। कहीं देर ना हो जाए और इसका असर। lokaabha चुनावों में ना पड़े।

जय हिंद (जय भारत माता)।

विनोद कुमार ,  
नाभा, शिमला ।

## वायरल हुई ताजपोशीयों की सूची

सतपाल सत्ती - अध्यक्ष 20 सूत्रिय कार्यक्रम  
सुरेश चंदेल - उपाध्यक्ष पर्यटन निगम  
विजय अग्निहोत्री - अध्यक्ष मंडी मार्केटिंग बोर्ड  
इन्दु गोस्वामी - अध्यक्ष कॉंगड़ा को आप रेटिव बैंक  
कृपाल परमार - अध्यक्ष हिमाचल ग्रामीण बैंक  
इल्लो राम - उपाध्यक्ष वूल फ्रेडरेशन  
नरेंद्र अत्रि - डायरेक्टर परिवहन निगम independent  
सुनील ठाकुर - अध्यक्ष हिमाचल ग्रामीण बैंक  
संदीपनी भारद्वाज उपाध्यक्ष वाटर मैनेजमेंट बोर्ड  
डाक्टर  
राकेश कुमार बबली उपाध्यक्ष फायिनांशियल कमीशन  
सुरत नेगी उपाध्यक्ष स्मॉल सेविंग कोपरेशन  
रमेश धवाला - मुख्य सचेतक vidhansabha  
कैबिनेट रैंक  
नरेंद्र ठाकुर - उप सचेतक vidahnsabha कैबिनेट रैंक  
राजीव भारद्वाज - chairman of the state-level  
Committee on Employment Generation and Resource  
पंकज जंबवाल - उपाध्यक्ष हिम फ्रेड  
गोविंद शर्मा - उपाध्यक्ष डिज़ेस्टर मैनेजमेंट  
शशि बाला - उपाध्यक्ष hppmc

# आर्य समाज सकारात्मक और शांतिपूर्ण जीवन का पक्षधर: आचार्य देवव्रत

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत जो संयुक्त राज्य अमेरिका के दौर पर हैं ने आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका द्वारा आयोजित 28वें आर्य महाधिवेशन को सम्बोधित करते हुए कहा कि आर्य समाज मजबूत नैतिक मूल्यों तथा शांतिपूर्ण एवं सकारात्मक जीवन जीने के लिये प्रोत्साहित करता है।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि भारतीय सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से है और हमें अपनी परम्पराओं को कायम रखते हुए समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमें वह हर नई चीज सीखनी चाहिए जो विकास में सहायक है और समय के साथ आगे बढ़ने तथा भविष्य के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सहानुभूति, करुणा, संवेदनशीलता और एकत्व, भाईचारा, समाज में शांति, मानवीय मूल्यों की शिक्षा ही हमारी सभ्यता की शानदार विशेषताएं हैं।

## प्रदेश सरकार डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध: वीरेन्द्र कंवर

शिमला/शैल। ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पशु पालन एवं मत्स्य पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड द्वारा उत्पादित हिम घी को ग्राहकों के लिये अब नए अवतार में प्रस्तुत किया। बाजार में अन्य लोकप्रिय ब्रांड के साथ प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए हिम घी की एक लीटर मात्रा को आकर्षक डिब्बे में उपलब्ध करवाया गया है।

इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में डेयरी उद्योग को

उन्होंने कहा कि आर्यसमाज की स्थापना स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा 1875 में सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए की गई थी। उन्होंने कहा कि स्वामी दयानन्द सरस्वती मजबूत सांस्कृतिक तथा संगठित भारत की आधारशिला थे और उनकी शिक्षाएं वर्तमान परिपेक्ष में अधिक प्रासंगिक हैं। आर्य समाज की स्थापना वेदों में वर्णित पौराणिक ज्ञान का प्रचार करने के लिए की गई थी। उन्होंने कहा कि सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानन्द द्वारा लिखित महान ग्रंथ है तथा उन्होंने इस महान ग्रंथ की रचना मानव जाति के कल्याण के लिए की थी।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य विश्व कल्याण है तथा प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य शारीरिक, आध्यात्मिक तथा समाज की भलाई के लिए काम करना है। प्रत्येक व्यक्ति के प्रति हमारा व्यवहार,

बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि डेयरी उद्योग पशु पालन के व्यवसाय से जुड़ा है जो सीधे तौर पर किसानों की आर्थिकी को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिकी काफी हद तक पशु पालन पर निर्भर करती है और इसी के दृष्टिगत राज्य सरकार पशु पालन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

पशु पालन मंत्री ने आश्वासन दिया कि भविष्य में राष्ट्रीय डेयरी विकास

स्नेह, सच्चाई, न्याय के द्वारा निर्देशित होना चाहिए।

आचार्य देवव्रत ने आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका द्वारा इस बड़े महासम्मेलन के आयोजन के लिए किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इन आयोजनों से वेदों में वर्णित सिद्धान्तों आपसी सौहार्द, न्याय, सच्चाई को बल मिलता है जबकि नस्लीय व जातीय भेदभावों जैसी सामाजिक विषमताओं से दूर रहने की शक्ति मिलती है।

आचार्य आशीष दर्शनाचार्य, राज्यपाल के ओएसडी डॉ. राजेन्द्र विद्यालंकार, डॉ. विजय विद्यालंकार, आचार्य ब्रह्म देव, मुकुन्द लाल, डॉ. बलवीर आचार्य, डॉ. सुश्रुत सामाशर्मा तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे। प्रतिभागियों, वैदिक विशेषज्ञों, योग विशेषज्ञों के अलावा दुनियाभर से आए वक्ताओं ने इस महाधिवेशन में अपने विचार रखे।

बोर्ड (एनडीडीबी) की सहायता से हिमाचल प्रदेश मिल्क फेड को सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मिल्कफेड की गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गई है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को राज्य में डेयरी को विकसित करने के लिये विशेष प्रयास करने को कहा। उन्होंने कहा कि मजबूत डेयरी से ही किसानों को पशु पालन व्यवसाय के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है।

## छोटे राज्यों की श्रेणी में सुशासन में अबल हिमाचल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश को जन मामले सूचकांक (पीसीई) बैंगलुरु द्वारा जारी रिपोर्ट में देश के 12 छोटे राज्यों की श्रेणी में बाल अधिकार में सुशासन के लिए लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ आंका गया है।

प्रशासनिक सुधार तथा भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग की सचिव डॉ. पूर्णिमा

किया है। देश में बाल अधिकार का कार्य एक महत्वपूर्ण विषय है तथा सभी राज्य इस दिशा में बेहतर कार्य करना चाहते हैं ताकि बच्चों को सुरक्षित भविष्य प्रदान किया जा सके।

वर्ष 2018 के लिए पीएआई की सूची में हिमाचल के बाद गोवा, मिजोरम, सिक्किम तथा त्रिपुरा हैं। गत वर्ष 82

पर्यावरण तथा पारदर्शिता एवं दायित्व) जैसे सात विषयों (ऊर्जा, जल, सड़क, गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अल्पसंख्यक कल्याण, रोजगार, बाल, महिला, जघन्य अपराध, अत्याचार, पर्यावरणीय उत्पन्न, वन्य आवरण) जैसे 18 केन्द्रित विषयों तथा कुछ नीति आयोग सूचकों सहित 45 सूचकों पर आधारित जिला बेहतर प्रशासन सूचकांक (डीजीजीआई) में अग्रणी रहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने डीजीजीआई प्रारूप रिपोर्ट को सार्वजनिक सेवा दिवस के अवसर पर 21 अप्रैल, 2018 को जारी किया था।

डीजीजीआई विकसित करने वाला प्रथम राज्य है। इससे उप-राज्य स्तर पर प्रशासन की गुणवत्ता में जिलों के प्रदर्शन के निष्पक्ष मूल्यांकन में सरकार के सहयोग के लिए डाटा एकत्रण तथा तुलनात्मक विश्लेषण में नए मानक स्थापित होंगे।

### शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा  
संयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज  
विधि सलाहकार - ऋचा  
अन्य सहयोगी  
रजनीश शर्मा  
राजेश ठाकुर  
सुदर्शन अवस्थी  
भेषेश  
रीना



चौहान ने बैंगलुरु में हाल ही में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीसीई के अध्यक्ष डॉ. के.कस्तूरी रंगन से प्रदेश की ओर यह पुरस्कार प्राप्त किया।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को यह पुरस्कार मुख्य सचिव विनीत चौधरी तथा सचिव प्रशासनिक सुधार डा. पूर्णिमा चौहान ने सौंपा।

मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए राज्य के समस्त अधिकारियों को बधाई दी और कहा कि अधिकारियों को और अधिक प्रतिबद्धता एवं समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए ताकि सरकार की कल्याणकारी नीतियों और विकासवात्मक योजनाओं का लाभ आम जनमानस तक पहुंच सके।

बाल अधिकार के सूचकांक में हिमाचल प्रदेश ने प्रथम स्थान अर्जित

## नशे की समस्या से निपटने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। राज्य में नशाखोरी को रोकने के लिए राज्य सरकार के संबंधित विभागों को शामिल करने के अलावा इस सामाजिक बुराई से निपटने के लिए पंचायतों, महिला मण्डलों, स्कूली बच्चों, अभिभावकों तथा अध्यापकों की सक्रिय सहभागिता के साथ एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री

जय राम ठाकुर ने प्रेस क्लब शिमला के सदस्यों के साथ संवाद करते हुए कहा। जय राम ठाकुर ने कहा कि पुलिस विभाग को नशा तस्करो पर शिकंजा कसने के लिए विशेषकर राज्य के सीमान्त क्षेत्रों में कड़ी एवं नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में व्याप्त इस बुराई पर अंकुश के लिए राज्य स्तरीय विशेष कार्य बल का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा तथा उत्तराखंड जैसे पड़ोसी राज्यों के साथ मुख्यमंत्री स्तर की नियमित बैठकें करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि समाज से इस बुराई को समाप्त करने के लिए एक संयुक्त कार्यनीति तैयार की जा सके। उन्होंने कहा कि अंतरराज्यीय नशा गिरोह को रोकने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ संयुक्त पुलिस कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने इस सामाजिक बुराई तथा नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों में जागरूक पैदा करने के लिए मीडिया के सदस्यों से हार्दिक सहयोग देने का आग्रह किया। राज्य में नशीले पदार्थों के बारे में विशेष जागरूकता अभियान चलाए जाने के प्रेस क्लब के प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह खुशी की बात है कि अब समाज का प्रत्येक वर्ग नशे के दुष्प्रभावों के प्रति संवेदनशील है क्योंकि यह समाज के दायें को बर्बाद कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने

निर्णय लिया है कि कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रदेशभर में कारगिल दिवस मनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने

मीडिया के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध कायम किए हैं और उनके कल्याण के लिए अनेक योजनाएं आरम्भ की गई हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रदेश मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश पत्रकार कल्याण योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त पत्रकारों तथा सेवानिवृत्त मान्यता प्राप्त पत्रकारों को चिकित्सा आगत के मामलों में वित्तीय सहायता को मौजूदा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है और योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए 180 लाख रुपये की सालाना पारिवारिक आय के मानदंड को भी समाप्त कर दिया है।

शिमला प्रेस क्लब के अध्यक्ष धनंजय शर्मा तथा महासचिव अनिल भारद्वाज ने प्रेस क्लब भवन के निर्माण के लिए वैकल्पिक भूमि प्रदान करने लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया क्योंकि प्रेस क्लब के लिए सच्ची भूमि में आवंटित भूमि को क्षेत्र के अंतर्गत आती है और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों के बाद इस स्थान पर निर्माण संभव नहीं है। प्रेस क्लब के सदस्यों ने प्रेस क्लब शिमला द्वारा आगामी 22 अगस्त, 2018 को नशे के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने के संबंध में आयोजित किए जाने वाले समारोह की अध्यक्षता करने के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया।

प्रेस क्लब के सदस्य तथा अन्य वरिष्ठ पत्रकार भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

## बिलासपुर का एम्स अस्पताल 2020 तक बनकर होगा तैयार: जे पी नड्डा

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे पी नड्डा ने मंगलूर एवं एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड (पहले राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड के नाम से विख्यात) के

देते हुए नड्डा ने बताया कि संस्थान में वाहन मुक्त स्थानों के साथ साथ पैदल चलने वालों के लिए अलग लेन होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आगंतुकों के लिए संस्थान में विश्व

अधिकारियों के साथ एम्स, बिलासपुर की प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी एनबीसीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अनूप कुमार मिश्र भी बैठक में

उपस्थित थे। नड्डा ने निर्देश दिया कि एनबीसीसी का लक्ष्य समयसीमा से पूर्व कार्य संपन्न कर लेने का होना चाहिए। बैठक में एनबीसीसी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष बिलासपुर के एम्स की डिजाइन भी प्रस्तुत की।

अधिकारियों को निर्देश देते हुए, नड्डा ने राज्य की भौगोलिक स्थिति के कारण बिलासपुर के एम्स में हेलीपैड निर्माण की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जहां दूर दराज के क्षेत्रों से रोगियों को गुणवत्तापूर्ण उपचार के लिए संस्थान तक लाया जाएगा। इस संबंध में विवरण

स्त्रीय सुविधाएं होनी चाहिए और जल संचयन संयंत्रों के निर्माण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। नड्डा ने बिलासपुर के एम्स में किफायती दवाओं एवं उपचार के लिए भरोसेमंद यंत्र (अमृत) आउटलेटों एवं जन औषधि केंद्रों के निर्माण पर भी जोर दिया जिससे कि निर्धनों एवं जरूरतमंदों को काफी रियायती दरों पर औषधियां उपलब्ध कराई जा सके।

बिलासपुर के एम्स अस्पताल में 750 बेड निर्माण, जहां दूर दराज के क्षेत्रों से रोगियों को गुणवत्तापूर्ण उपचार के लिए संस्थान तक लाया जाएगा। इस संबंध में विवरण





# खेतों में सौर फैनसिंग लगाने के लिए 80 प्रतिशत उपदान

**शिमला/शैल।** मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में 449 मेगावाट की क्षमता वाली दुर्गर जल विद्युत परियोजना को बीओओटी आधार पर 70 वर्ष की अवधि के लिए एनपीएचसी के पक्ष में आवंटित करने का निर्णय लिया गया। इस अवधि के पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना विशेष उत्पादन क्षमता, निःशुल्क तथा सभी प्रकार के ऋणभार से मुक्त पुनः हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगी।

प्रदेश में बढ़ रही नशाखोरी को नियंत्रित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की समीक्षा करते हुए मंत्रिमण्डल ने निर्देश दिए कि प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सहभागिता से विशेष अभियान आरम्भ किया जाना चाहिए तथा पंचायतों, महिला मण्डलों, अभिभावकों, स्कूली बच्चों तथा शिक्षकों इत्यादि की सक्रिय सहभागिता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त मंत्रिमण्डल ने परम्परागत भाग उगाने वाले क्षेत्रों में वैकल्पिक फसल को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को वैकल्पिक फसलों को उगाने के प्रति प्रेरित किया जा सके।

नशे को रोकने के लिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साईकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट को और अधिक सख्त बनाने के लिये इसमें आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं। प्रदेश में नशा बेचने वालों की धरूपधरूप के लिए राज्य स्तरीय विशेष कार्य बल को गठित करने पर बल दिया गया। मंत्रिमण्डल ने गृह विभाग को पड़ोसी राज्यों के साथ मुख्य निदेशक स्तर पर नियमित समन्वय बैठकें आयोजित करने के भी निर्देश दिए। मंत्रिमण्डल ने अंतरराज्यीय नशीले पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ संयुक्त पुलिस ऑपरेशन आयोजित करवाने के भी निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2017 में केवल छः बीघा भूमि की तुलना में गत छः माह के दौरान 1366 बीघा भूमि से अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान 831 नशा अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध मामले दर्ज किए गए।

प्रदेश में किसान समुदाय को राहत प्रदान करने के लिए मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में 'मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना' तथा 'मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस जीर्णोद्धार योजना' के कार्यान्वयन को स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के अंतर्गत तीन या इससे अधिक किसानों के समूह को 85 प्रतिशत का अनुदान तथा जंगली जानवरों से फसल को बचाने के लिए खेतों में सौर फैनसिंग लगाने के लिए किसानों को 80 प्रतिशत उपदान प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस जीर्णोद्धार योजना के अंतर्गत किसानों को पॉलीहाउसों की क्षतिग्रस्त पॉलीहाउसों को बदलने के लिए 50 प्रतिशत के वर्तमान अनुदान के स्थान पर 70 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाएगा।

मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया। इसके अंतर्गत प्रदेश के लगभग पांच

लाख चयनित परिवारों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। वर्तमान में ऐसे परिवारों को निःशुल्क उपचार प्रदान करने के लिए 175 अस्पतालों का पंजीकरण किया गया है।

मंत्रिमण्डल ने प्रथम जुलाई, 2017 से पूर्व चल रहे ठेके के कार्यों के लिए



जीएसटी के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने ठेकेदारों का मनोबल बढ़ाने के लिये तथा कार्यों को जल्द पूरा करने के लिये 50 लाख रुपये से अधिक की लागत के कार्यों के लिये प्रमाणित बोली दस्तावेज में प्रोत्साहन उप-नियम लागू करने का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने ठेकेदारों को निर्माण स्थल पर मलबे को उपयोगी सामग्री में परिवर्तित करने के लिए क़शर स्थापित करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया ताकि सामग्री को निर्माण कार्यों में पुनः उपयोग में लाया जा सके। बैठक में ठेकेदारों को निजी तौर पर खुले बाजार से टोर स्टील, तारकोल, सीजीआई/पीजीआई शीट्स जैसी विभिन्न सामग्री प्राप्त करने की अनुमति देने को स्वीकृति प्रदान की गई। संबंधित कार्यकारी अभियन्ता द्वारा जारी परमिट के विरुद्ध ठेकेदार नागरिक आपूर्ति निगम से सीमेंट का स्वयं प्राप्ति करेगा। ठेकेदारों को सामग्री का अपने स्तर पर प्राप्ति करने अनुमति दी गई है ताकि ठेकेदारों को लोक निर्माण विभाग के भण्डारों से आपूर्ति की कमी के चलते कठिनाई का सामना न करना पड़े तथा विभिन्न कार्यों को निर्धारित समय के भीतर पूरा करना सुनिश्चित बनाया जा सके।

मंत्रिमण्डल ने शिक्षा विभाग में मिड-डे-मील योजना के अंतर्गत तैनात किए गए कुक एवं हैल्परों के मानदेय को पहली अगस्त, 2018 से मौजूदा 1500 रुपये से बढ़ाकर 1800 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया। इससे 22000 लोगों को लाभ मिलेगा।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश पत्रकार कल्याण योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त पत्रकारों तथा मान्यता प्राप्त सेवानिवृत्त पत्रकारों को चिकित्सा आपात के मामलों में वित्तीय सहायता मौजूदा 50000 रुपये से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमण्डल ने इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये 1.80 लाख रुपये की वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा को भी समाप्त करने का फैसला लिया है।

बैठक में राज्य के छः जिलों क्रमशः बिलासपुर, शिमला, मण्डी, कुल्लू, किन्नौर तथा लाहौल-स्पीति में जिका के सहयोग से कार्यान्वित की जाने वाली 'हिमाचल प्रदेश वन

पारिस्थितिकीय प्रबंधन और आजीविका सुधार' परियोजना के कार्यान्वयन के लिये पर्याप्त श्रम शक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इस परियोजना से इन 6 जिलों में सतत वन पारिस्थितिकीय प्रबंधन, सतत वन विविधिकरण प्रबंधन एवं आजीविका सुधार में सहयोग मिलेगा।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित को अस्वीकार्य अनुपयोगी बची हुई लकड़ी को निकालने तथा इसके उपयोग के लिये नीति निर्देशों को मंजूरी प्रदान की। बचे हुए पेड़ों की अनुपयोगिता के कारण राज्य कोष को भारी राजस्व नुकसान हो रहा है और बची हुई अनुपयोगी लकड़ी की उपयोगिता के लिये मंत्रिमण्डल द्वारा इन दिशा निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जो न केवल वृक्षों को अवैध तरीके से हटाने को रोकेंगे, बल्कि विभिन्न विभागों को विभिन्न विकासार्थक गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिये वांछित इमारती व बालन लकड़ी भी उपलब्ध कराएगा। दिशा निर्देशों के अनुसार नये आवासीय भवनों अथवा गौशालाओं के निर्माण तथा उनके रखरखाव में प्रयोग के लिये टीडी. अधिकारों के अंतर्गत केवल अनुपयोगी लकड़ी की ही अनुमति होगी।

मंत्रिमण्डल ने चीड़ व पाईन की पत्तियों को वनभूमि से एकत्र करने व हटाने के लिये नीति को मंजूरी प्रदान की ताकि इनका उपयोग चीड़-पाईन पत्ती आधारित लघु उद्योगों की स्थापना के लिये किया जा सके। इससे वनों में आगजनी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा तथा उद्योगों को चीड़-पाईन पत्तियों को इंधन के लिये प्रोत्साहन मिलेगा। राज्य सरकार ऐसे उद्योग स्थापित करने के लिये पूंजीगत लागत का 50 प्रतिशत निवेश उपदान प्रदान करेगी।

भारखड़ा बांध विस्थापितों की दीर्घकालीन मांगों के समाधान के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल ने विस्थापितों तथा उनके परिवारों को अधिकतम राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है तथा नीति में आवश्यक संशोधन को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने सहकारिता विभाग में दैनिक भोगी आधार पर वाहन चालकों के तीन पद तथा चतुर्थ श्रेणी के 45 पदों को भरने का निर्णय लिया है।

बैठक में चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में अनुबंध आधार पर प्रयोगशाला परिचारकों के 18 पद भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमण्डल ने अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षमों

के सशक्तिकरण विभाग में हि.प्र. कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से कंप्यूटर अपरेटर्स को 12 रिक्त पद तथा आईटी प्रोग्रामर का एक पद अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया।

बैठक में कृषि विभाग में दैनिक भोगी आधार पर वाहन चालकों के

10 रिक्त पदों को भरने का फैसला लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने योजना विभाग में विभिन्न श्रेणियों के छः पद भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर के पशु औषधालय घुवाण्डल को आवश्यक स्टाफ सहित पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने को अपनी मंजूरी प्रदान की।

बैठक में कांगड़ा जिले की ग्राम पंचायत दमोह को पुलिस स्टेशन बैजनाथ से बाहर कर इसे पुलिस स्टेशन लम्बागांव के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया ताकि इस ग्राम पंचायत के लोगों को सुविधा प्राप्त हो सके।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 23 अगस्त से 31 अगस्त, 2018 तक शिमला में करने का निर्णय लिया। इसमें सात बैठकें होंगी।

मंत्रिमण्डल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ की कमी से निपटने के लिए अनुबंध आधार पर फार्मासिस्टों के 218 पदों को बैचवाईज भरने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को गृह निर्माण के लिए 1.30 लाख रुपये की सहायता प्रदान करने के लिए 8.33 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को विशेषकर लड़कियों को उनके घर-द्वार के समीप गुणालक शिक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। प्रदेश सरकार द्वारा शिमला जिले के विभिन्न महाविद्यालयों में अधोसंरचना विकसित करने के लिए 8.33 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला जिले के राजकीय डिग्री कॉलेज कुमारसेन को भवन निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये, राजकीय डिग्री कॉलेज ननखड़ी में भवन निर्माण के लिए एक करोड़, राजकीय डिग्री कॉलेज चायल - कोटी में भवन निर्माण के लिए 25 लाख, जवाहर लाल नेहरू ललित कला राजकीय महाविद्यालय शिमला के भवन निर्माण के लिए 75 लाख, राजकीय डिग्री कॉलेज सुन्नी में

के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना आरम्भ करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने प्रदेश में स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए तथा स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहित कर 18 से 40 वर्ष आयुवर्ग के स्थानीय युवाओं को आजीविका प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना - 2018 को आरम्भ करने की स्वीकृति दी। योजना के अंतर्गत अधिकतम 30 लाख निवेश पर पुरुष उम्मीदवारों को 25 प्रतिशत निवेश उपदान तथा महिला उम्मीदवारों को 30 प्रतिशत उपदान प्रदान करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त पहले वर्ष में ब्याज पर आठ प्रतिशत अनुदान तथा अगले वर्षों के लिए दो प्रतिशत कम करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने सभी राजकीय/निजी पाठशालाओं में पहली कक्षा में प्रवेश के दौरान टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को स्वीकृति प्रदान की। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पांच वर्ष आयुवर्ग के सभी बच्चों का टीकाकरण पूरा हो चुका है।

बैठक में कैब योजना - 1999 तथा मोटरसाईकिल योजना - 1997 को किराए पर लेने की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत कैब हायर करने के लिए प्रतिवर्ष 40 हजार रुपये जबकि मोटरसाईकिल के लिए 20 हजार रुपये लिए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत 50 मोटर वाहनों तथा मोटरसाईकिल योजना के अंतर्गत पांच मोटरसाईकिलों के फ्लीट वाली इच्छुक पार्टियों को लार्डसेस जारी किए जाएंगे।

मंत्रिमण्डल ने हि.प्र. चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय की संस्तुतियों के अनुरूप सोलन जिले के वाकनाथाट स्थित बाहरी विश्वविद्यालय में फिजियोथेरेपी में स्नातक पाठ्यक्रम आरम्भ करने की मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने प्रदेश के सभी उपायुक्त, उपमण्डलाधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी कार्यालयों में कारगिल दिवस मनाने का निर्णय लिया। इस दौरान अधिकारियों को बैठकें आयोजित कर पूर्व सैनिकों को विशेष तौर पर आमंत्रित करने को कहा गया है। इस दौरान युद्ध स्मारकों तथा शहीद स्मारकों का दौरा किया जाएगा और शपथ भी दिलाई जाएगी।

## शिमला के कॉलेजों को विकसित करने के लिए 8.33 करोड़ की राशि स्वीकृत

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को विशेषकर लड़कियों को उनके घर-द्वार के समीप गुणालक शिक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। प्रदेश सरकार द्वारा शिमला जिले के विभिन्न महाविद्यालयों में अधोसंरचना विकसित करने के लिए 8.33 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

भवन निर्माण के लिए 25 लाख, राजकीय कल्याण महाविद्यालय शिमला में भवन निर्माण के लिए 1.50 करोड़, राजकीय डिग्री कॉलेज नेरवा में भवन निर्माण के लिए 60 लाख, राजकीय डिग्री कॉलेज रामपुर में विज्ञान और वाणिज्य खण्ड के लिए 50 लाख, राजकीय डिग्री कॉलेज शिमला में केन्टिन खण्ड निर्माण के लिए 28 लाख, सीमा कॉलेज में खेल मैदान के लिए 50 लाख, सीमा कॉलेज में प्रशासनिक खण्ड के निर्माण के लिए 10 लाख, राजकीय डिग्री कॉलेज चोपाल में भवन निर्माण के लिए 10 लाख, राजकीय डिग्री कॉलेज सुन्नी में सभागार निर्माण के लिए 25 लाख, राज्य पुस्तकालय शिमला के लिए एक करोड़, संस्कृत कॉलेज क्याटूर में भवन निर्माण के लिए 25 लाख की राशि जारी करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की।

राजा, गुप्तचर और मंत्री तीनों का एक मत होना किसी भी मंत्रणा की सफलता है। .....चाणक्य

## सम्पादकीय

# घातक होगी भीड़ हिंसा की वकालत



भीड़ हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ी चिन्ता व्यक्त करते हुए सरकारी तन्त्र को कड़े निर्देश देते हुए सरकार को भी कहा है कि वह इन घटनाओं को रोकने के लिये कानून बनाये। जब शीर्ष अदालत ने यह निर्देश जारी किये उसी दिन झारखण्ड में भीड़ ने सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अभिवेश पर हमला कर दिया। हमला करने वाले जयश्रीराम को नारे लगा रहे थे। इस घटना के बाद अलवर में हिंसक भीड़ ने एक व्यक्ति की जान ले ली। इस भीड़ में शामिल लोग भी अपने को स्थानीय विधायक के आदमी होने का दम्भ भर रहे थे। यह दोनों घटनाएं संसद में उठी और विपक्ष ने इस पर सरकार को घेरा। शीर्ष अदालत जब ऐसी घटनाओं पर चिन्ता व्यक्त करते हुए निर्देश तक जारी कर चुकी हो तब मामले की गंभीरता का अन्दाजा लगाया जा सकता है। इसलिये यह उम्मीद की जा रही थी कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस पर संसद में चर्चा होगी। लेकिन इस विषय पर उठी बहस का जबवा गृहमन्त्री राजनाथ सिंह ने यह कहकर दिया कि देश 1984 में भीड़ हिंसा का सबसे बड़ा ताण्डव देख चुका है और आज की हिंसा उसके मुकाबले में कहीं कम है। इस बहस में एक दूसरे पर आरोप लगाने के अतिरिक्त कुछ भी सामने नहीं आया है। यही नहीं संसद के बाहर आरएसएस नेता इन्द्रेष् कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि यदि लोग वीफ खाना और गाय को मारना छोड़ दे तो इस तरह की घटनाएं अपने आप ही बन्द हो जायेंगी।

आज केन्द्र में भाजपा की सरकार है इस नाते इन घटनाओं पर सबसे पहला सवाल उसी से पूछा जायेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को कानून बनाने के निर्देश दिये हैं तो उनकी अनुपालना भी मोदी सरकार को ही करनी है। अलवर की घटना के बाद एक और घटना घट गयी है। कुल मिलाकर एक ऐसा वातावरण बनता जा रहा है कि जहां आदमी को आदमी से ही डर लगने लग गया है। कानून का डर बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। जब कानून का डर खत्म हो जाये और आदमी को आदमी से ही डर लगने लगे तथा भीड़ कहीं भी किसी की हत्या कर दे तो ऐसी स्थिति को "सिविल वार" के संकेतक माना जाता है। आज गोरक्षा के नाम पर भीड़ को हिंसक होने के लिये एक तरह से लाईवैस मिल गया है। कानून का डर खत्म हो चुका है इसका प्रमाण बढ़ती बलात्कार की घटनाएं हैं। निर्भया कांड के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश बलात्कार के दोषियों को मौत की सजा देने का प्रावधान कर चुकी है और भी कई राज्य ऐसे ही कानून लाने की बात कर चुके हैं। मौत से बड़ी कोई सजा नहीं हो सकती है लेकिन यह सब होने के बाद भी बलात्कार की घटनाएं खत्म नहीं हुई हैं। कानून का जब डर खत्म हो जाता है व समाज में अराजकता का माहौल खड़ा हो जाता है जो किसी भी सभ्य समाज के लिये एक घातक स्थिति हो जाती है।

ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। यह एक स्थापित सत्य है कि "Justice delayed is justice denied" देर से मिला न्याय न मिलने के ही बराबर होता है। हमारे देश में अभी तक व्यवस्था नहीं हो पायी है कि आपराधिक मामले के फैसले एक निश्चित समय सीमा के भीतर आ पायें। 2014 के लोकसभा चुनावों से पूर्व पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो माहौल खड़ा हुआ था उसी के कारण इस तरह का सत्ता परिवर्तन देखने को मिला था। उस समय लोकपाल की व्यवस्था लाने के लिये पूरा देश आन्दोलित हो उठा था। अन्ना हजारे, स्वामी राम देव, किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल उस आन्दोलन के सबसे बड़े चेहरे बन गये थे। सरकार को लोकपाल विधेयक संसद में लाना पड़ा या मोदी और केजरीवाल की सरकारें इसी आन्दोलन का प्रतिफल हैं। आज मोदी प्रधानमन्त्री हैं, केजरीवाल मुख्यमन्त्री हैं। किरण बेदी उपराज्यपाल, अन्ना हजारे सुरक्षा कवच लेकर बैठ गये हैं और स्वामी राम देव एक स्थापित उद्योगपति हो गये हैं। लेकिन अब तक देश को लोकपाल नहीं मिल पाया है। मोदी सरकार इसके लिये वांछित कमेटीयों का गठन नहीं कर पायी है। सर्वोच्च न्यायालय इस पर भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुका है। यही नहीं भ्रष्टाचार निरोधक कानून का जो नया रूप कुछ दिनों में अधिसूचित होने जा रहा है उसके लागू होने के बाद किसी भी भ्रष्टाचारी को आसानी से सजा नहीं मिल पायेगी। इस कानून में संशोधन का प्रावधान 2013 में तैयार हुआ था जिसे अब मोदी सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा से पारित करवाया है। उम्मीद है कि इसमें कुछ नये कड़े उपबन्ध जोड़े जायेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इससे भ्रष्टाचार और अपराध पर सरकार की सोच और गंभीरता का अन्दाजा लगाया जा सकता है।

2014 लोकसभा चुनावों में भाजपा ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था। अब गो हिंसा को लेकर जो वातावरण खड़ा किया जा रहा है और उसके लिये एक वर्ग विशेष को ही जिम्मेदार ठहराने की नीति चल रही है इससे धुवीकरण के लिये एक और भी ठोस जमीन तैयार की जा रही है। गोरक्षा के नाम पर की जा रही हिंसा को जब जयश्रीराम के नारे के आवरण में परोसा जायेगा तो एकदम सारा आयात ही बदल जायेगा अगला पूरा चुनाव इसी गोरक्षा के नाम पर केन्द्रित किये जाने की पूरी-पूरी संभावना बनती जा रही है। जबकि संहर्षाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर सवाल आज भी उसी धरातल पर खड़े हैं जहां 2014 में थे। आज अन्तर केवल इतना है कि आने वाला चुनाव इन बुनियादी मुद्दों पर न लड़ा जाये। उसके लिये गोरक्षा और आरक्षण जैसे मुद्दे खड़े किये जा रहे हैं। क्योंकि यदि गोरक्षा सही में एक प्रमुख मुद्दा है तो उसकी हत्या के खिलाफ कानून क्यों नहीं लाया जा रहा है जबकि संसद में पूरा बहुमत है फिर जो ऐसे कानून का विरोध करेगा वह स्वयं जनता के सामने नंगा हो जायेगा। लेकिन जब कानून बन जायेगा तब सब कुछ कानून के अनुसार होगा भीड़ के अनुसार नहीं। कानून बन जाने के बाद भीड़ की हिंसा की वकालत नहीं हो पायेगी।

# फसलों को कीटों से बचाने सूत्रकृमि तैयार

फसलों को कीटों से बचाने के लिये राज्य सरकार ने प्रभावी कदम उठाते हुए फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को नष्ट करने वाले सूत्रकृमि तैयार किए जा रहे हैं। किसान-व बागवान यदि इन कीटों

सूत्रकृमि राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान हैदराबाद से लाए गए हैं और प्रदेश में इन्हें लाखों की संख्या में तैयार करके किसानों व बागवानों को उपलब्ध करवाया जा रहा है।

सूत्रकृमि भूमि में मौजूद फसलों



को अपनी खड़ी फसलों अथवा बागानों में डालते हैं तो जहां एक ओर कीटों की समस्या समाप्त हो जाएगी, वहीं दूसरी ओर फसलों में नुकसानदायी कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा।

राज्य उद्यान विभाग कि शिमला के रक्षाणा स्थित जैव नियंत्रण प्रयोगशाला में प्रतिदिन लाखों की संख्या में किसान मित्र रोग कीटकारी सूत्रकृमि तैयार किए जा रहे हैं। ये

के लिए हानिकारक कीटों जैसे जड़ छेदक, कटवा कीड़ा, दीमक, सफेद गूबज एवं अन्य कीटों की रोकथाम करने में सक्षम है। यह एक पारदर्शी सूत्रकृमि है, जो कीटों के भीतर प्रवेश कर एवं बैक्टीरिया (Photorhabdus Bacilli) की सहायता से रोग पैदा कर कीट के आकार के हिसाब से उसे 24-48 घण्टे के भीतर मार देता है। कीट की मृत्यु उपरान्त यह सूत्रकृमि कीट के शरीर में मौजूद द्रव्य का

उपयोग करते हुए अपनी वंश वृद्धि करता है, जो 8-12 दिनों में पूरी हो जाती है। यह वृद्धि इतनी तीव्रगति से होती है कि एक पूर्ण विकसित जड़ छेदक कीट के भीतर इनकी संख्या 40 से 50 हजार तक हो सकती है। ये सूत्रकृमि भूमि में फैलकर लगभग छः माह तक भूमि में जीवित रह सकते हैं।

ये सूत्रकृमि किसी भी कार्य दिवस पर प्रयोगशाला में आकर निःशुल्क प्राप्त किया जा सकते हैं, जिन्हें वे प्रभावित खेत या बगीचे में स्त्रे या अन्य किसी माध्यम से उपयोग किया जा सकता है।

इन सूत्रकृमियों के सफल उपयोग हेतु भूमि में नमी का होना आवश्यक है, ताकि सूत्रकृमि सुगमता से भूमि में उपलब्ध शत्रु कीटों तक पहुंच सके। उन्होंने बताया कि इन सूत्रकृमियों के सफल उपयोग के लिए बरसात का मौसम अति उत्तम है। किसानों व बागवानों से अपील की गई है कि वे सूत्रकृमि को अपनी फसलों में डालें और इन्हें शिमला के रक्षाणा से प्राप्त करें। इस संबंध में संबंधित बागवानी विकास अधिकारी अथवा बागवानी विभाग के किसी भी अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

# पेयजल स्रोतों की स्वच्छता जरूरी

हमारे जीवन में जल के महत्व एवं अनिवार्यता के दृष्टिगत हमारी सेहत के लिए जल का स्वच्छ एवं शुद्ध होना जरूरी है। दूषित जल एवं दूषित खाद्य पदार्थों के सेवन से पीलिया जैसे रोग होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए आवश्यक है कि पीलिया रोग से बचाव के लिए आस-पास के परिवेश, पानी की टंकियों तथा जल स्रोतों को साफ-सुथरा रखा जाए। थोड़ी सी सावधानी एवं सतर्कता से इस रोग से बचा जा सकता है।

कांगड़ा जिला में स्वास्थ्य और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग समय-समय पर पेयजल स्रोतों की साफ-सफाई एवं क्लोरीनेशन करता है। इसके अतिरिक्त सैपल लेकर पेयजल की जांच सुनिश्चित बनाई जा रही है, ताकि लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा सके।

जिला के सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग ने शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित बनाने के लिए प्रभावी प्रयास किए हैं। अप्रैल माह से 15 जुलाई, 2018 तक जिला में धर्मशाला, पंचरूखी, थुरल, नूरपुर, शाहपुर, देहरा, इंदौर तथा ज्वालौ में स्थित विभागीय जल जांच प्रयोगशालाओं में पानी के 4603 नमूनों की जांच की गई है तथा ये सैपल ठीक पाए गए हैं।

वायरल हैपेटाइटिस या जॉन्डिस को साधारणतः लोग पीलिया के नाम से जानते हैं। यह रोग बहुत ही सूक्ष्म विषाणु (वायरस) से होता है। शुरू में जब रोग धीमी गति से व मामूली होता है तब इसके लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं, परन्तु जब यह उग्र रूप धारण कर लेता है तो रोगी की आंखें व नाखून पीले दिखाई देने लगते हैं, लोग इसे पीलिया कहते हैं।

पीलिया रोग मुख्यतः तीन प्रकार का होता है (वायरल हैपेटाइटिस ए, वायरल हैपेटाइटिस बी तथा वायरल हैपेटाइटिस सी) ए व नान बी।

यह रोग ज्यादातर ऐसे स्थानों पर होता है जहां के लोग व्यक्तिगत व वातावरणीय सफाई पर कम ध्यान देते हैं। भीड़-भाड़ वाले इलाकों में भी यह ख्याद होता है। वायरल हैपेटाइटिस बी किसी भी मौसम में हो

सकता है। वायरल हैपेटाइटिस ए तथा नान ए व नान बी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नजदीकी सम्पर्क से होता है। ये वायरस रोगी के मल में होते हैं तथा पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति के मल से, दूषित जल, दूध अथवा भोजन द्वारा इसका प्रसार होता है।

ऐसा हो सकता है कि कुछ रोगियों की आंख, नाखून या शरीर आदि पीले नहीं दिख रहे हों परन्तु यदि वे इस रोग से ग्रस्त हो तो अन्य रोगियों की तरह ही रोग को फैला सकते हैं। वायरल हैपेटाइटिस बी खून व खून से निर्मित पदार्थों का आदान-प्रदान एवं यौन क्रिया द्वारा फैलता है। यहां खून देने वाला रोगी व्यक्ति रोग वाहक बन जाता है। बिना उबाली सुई और सिरिंज से इन्जेक्शन लगाने पर भी यह रोग फैल सकता है। पीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति वायरस, निरोग मनुष्य के शरीर में प्रत्यक्ष रूप से अंगुलियों से और अप्रत्यक्ष रूप से रोगी के मल से या मक्खियों द्वारा पहुंच जाते हैं। इससे स्वस्थ मनुष्य भी रोग ग्रस्त हो जाता है।

जिला चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा डॉ. राजेश गुलेरी बताते हैं कि ए प्रकार के पीलिया और नान ए व नान बी तरह के पीलिया रोग के संक्रमण के तीन से छः सप्ताह के बाद ही रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। बी प्रकार के पीलिया (वायरल हैपेटाइटिस) के रोग की छूट के छः सप्ताह बाद ही रोग के लक्षण प्रकट होते हैं।

डॉ. गुलेरी बताते हैं कि पीलिया रोग के मुख्य लक्षण रोगी को बुखार रहना, भूख न लगना, चिकनाई वाले भोजन से अरुचि, जी मिचलाना और कभी कभी उल्टियां होना, सिर में दर्द होना, सिर के दाहिने भाग में दर्द रहना,

आंख व नाखून का रंग पीला होना, पेशाब पीला आना तथा अत्यधिक कमजोरी और थका थका सा लगना इत्यादि होते हैं। रोग के लक्षण प्रतीत होने पर रोगी को शीघ्र ही डॉक्टर के पास जाकर परामर्श लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त रोगी को अधिक से अधिक आराम करना चाहिए एवं लगातार जांच कराते रहना चाहिए। रोगी को डॉक्टर की सलाह के अनुसार भोजन में प्रोटीन और कार्बोज वाले पदार्थों का सेवन करना चाहिए। नींबू, संतरे तथा अन्य फलों का रस भी इस रोग में गुणकारी होता है, वसा युक्त गरिष्ठ भोजन का सेवन इसमें हानिकारक है। चावल, दलिया, खिचड़ी, धूली, उबले आलू, शकरकड़ी, चीनी, ग्लूकोज, गुड़, चीकू, पपीता, छाछ, मूली आदि कार्बोहाइड्रेट वाले पदार्थ हैं, इनका सेवन अधिक करना चाहिए।

पीलिया रोग के प्रकोप से बचने के लिए कुछ साधारण बातों का ध्यान रखना जरूरी है। खाना बनाने, पोरसने, खाने से पहले व बाद में और शौच जाने के बाद में हाथ साबुन से अच्छी तरह धोने चाहिए। भोजन जालीदार अलमारी या ढक्कन से ढक कर रखना चाहिए, ताकि मक्खियों व धूल से बचाया जा सके। ताजा व शुद्ध गर्म भोजन करें दूध व पानी उबाल कर पीना चाहिए।

स्वच्छ जल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जलस्रोतों की ओर उपने आस-पास साफ-सफाई रखें, अपने घरों की पानी की टंकियों की भी समय-समय से सफाई रखें, एफटीके से पानी की गुणवत्ता चेक करें तथा उबला हुआ पानी पीएं। पानी में क्लोरीन डालें तथा प्रयोगशाला में पानी टेस्ट के लिए भेजें।



# क्या एनजीटी के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिल पायेगी

एनजीटी ने शिमला में नये निमाणों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। अब कोई भी निर्माण अढ़ाई मंजिल से अधिक का नहीं हो सकेगा। शिमला के कोर एरिया में केवल पुराने भवनों का ही पुनः निर्माण हो सकेगा और वह भी पूरी तरह पुराने के ही आधार पर। एनजीटी के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और सरकार रिव्यू याचिका अस्वीकार होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में अपील में जाने की बात कर रही है। इस संदर्भ में यह स्मरणीय है कि एनजीटी के इस फैसले का आधार सर्वोच्च न्यायालय के दिसम्बर 1996 और मई 2006 के फैसले बने हैं। 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि the Court while referring to the case of *Royal Paradise Hotel (P) Ltd. V. State of Haryana and Ors.*, (2006) 7 SCC 597 held as under:

**"We would like to reiterate that no authority administering municipal laws and other similar laws can encourage violation of the sanctioned plan. The Courts are also expected to refrain from exercising equitable jurisdiction for regularization of illegal and unauthorized constructions else it would encourage violators of the planning laws and destroy the very idea and concept of planned development of urban as well as rural areas."**

The above law enunciated by the highest court of the land and has been followed by the Tribunal in its various judgements leaves no doubts in our mind that unauthorized and illegal structures raised must face the rigors of law and cannot be granted regularization with the aid of byelaws for compounding deviation. The deviations must fall within the framework of the principal statute and they cannot be permitted to defeat the provisions of the principal Act.

अब एनजीटी ने इस मामले की सुनवाई के दौरान एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया था। अतिरिक्त मुख्य सचिव तरूण कपूर की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में 24 मई 2017 को अपनी रिपोर्ट एनजीटी को सौंप दी थी। इस रिपोर्ट में की गयी सिफारिशें भी फैसले का आधार बनी हैं। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि जब सरकार के विशेषज्ञ अधिकारियों की रिपोर्ट इस फैसले का आधार बनी है तब क्या सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले में कोई राहत मिल पायेगी। पाठकों की जानकारी के लिये एनजीटी में रखी गयी यह रिपोर्ट सामने रखी जा रही है।

The Tribunal observed that the Chairman of Committee and Mr. Sandeep Sharma dictated the said report ignoring opinion of the members, which was certainly irresponsible on the part of the said officer. The Tribunal while expressing displeasure in terms of the order dated 22nd February, 2017 directed that the objections should be considered and all the Members should be present in the chamber meeting to be held on 28th February, 2017 at the Tribunal. On 28th February, 2017, all the Members appeared and while expressing reservation about the draft report, they tendered an apology to the Tribunal for not complying with the directions. The members of the Committee were present and after hearing all concerned, the Tribunal directed that the Chairman of the Committee Mr. R.D. Dhiman, IAS, Principal Secretary, Environment, Science & Technology would not be the Chairman any further. Mr. Tarun Kumar, Additional Chief Secretary was appointed as the Chairperson and Mr. Shashi Shekhar, former Secretary, MoEF&CC and a nominee of Director, NEERI were added as additional members of the Committee. This Committee then finally held the meeting and considered the reports as well as detailed directions passed by the Tribunal in its order dated 22nd February, 2017 and finally submitted the report before the Tribunal on 24th May, 2017.

**Recommendations on Disaster Risk Management:** From a disaster risk management perspective, Shimla has far exceeded its carrying capacity. Uncontrolled and unsafe construction over decades has created an extremely vulnerable built environment in Shimla. A major earthquake will lead to unprecedented loss of lives, cripple the administration and disrupt all sectors of the economy particularly the

tourism sector. Any further increase in the density of the built environment will exponentially increase the risk of damages and losses from disasters. In fact, there is a need to reduce the density of Shimla by taking some bold steps including some "conservative surgery" of the current built environment by removing or retrofitting some of the most vulnerable buildings. The Committee presents its recommendation in three categories:

i) **Stop** the creation of new vulnerabilities and risks;  
ii) **Reduce** existing vulnerabilities and risks; and  
iii) **Increase** local emergency response capacity for a major earthquake. **Stop** the Creation of New Risks

**Recommendation 1:**  
**Revise the current building bye-laws to ensure their suitability for the hill environment.**

The impact of bye-laws on the safety of the overall built environment must be considered. For example, permissible building height that does not take into account slope stability and sub-soil conditions will lead to a large number of unsafe buildings. The building bye-laws should be left substantially unchanged for at least fifteen years. Frequent changes in bye-laws have affected the safety of buildings adversely in Shimla. In conjunction with BIS codes for earthquake safety, the bye-laws should promote the implementation of BIS codes for slope stability and landslide prone areas. Shimla should draw upon the experience of two other states-Mizoram and Sikkim-in this regard. In April, 2017, the Government of Mizoram notified, the "The Aizawl Municipal Corporation Site Development And Slope Modification Regulations." The Government of Sikkim has prepared "Proposed Amendments in Sikkim Building Construction

Regulations 2013", which is yet to be notified. Both these examples show how site development and building construction regulations can be developed to suit the fragile hill environment. **A corollary of this recommendation is that a land use zoning policy related to slope stability and mass movement must be adopted.**

**Recommendation 2:**  
**Slope Stability Norms:** In addition, to the recommendation above on development of detailed slope stability and site development regulations, the Committee would like to make following specific recommendation that should be implemented immediately:

► The general **slope angle for construction** should be not more than 35° for slope covered with soil and 45° for rocky slopes.

► Most of the slopes in the area are in meta-stable conditions, therefore any change in geological/geomorphological and environmental conditions will lead to destabilization of the slope and may have consequential affects in terms of landslides. It is strongly suggested that immediate **slope intervention** in terms of slope stabilization must be adopted, if necessary.

► Reports prepared by the HP State department suggest that the **safe bearing capacity** of the rocks present in the township is 20-25 ton/m<sup>2</sup>, thus buildings must be designed taking this into consideration.

► Construction may be permitted in the adjoining rural areas, however, as most of the slopes in the area covered within veneer of sediments having overburden of the order of <5m, it is suggested that foundations of the building must be **footed firmly on the in-situ rocks**, and under no conditions these should be allowed in the landslide prone areas, or in areas that are

topographically located below the active landslide zone.

► Since most of the mass movement in the Shimla township and its surroundings are due to oversaturation of the overburden materials, it is recommended that proper lined drains on the slopes be constructed to drain water away from the slope so that there is minimum ingress of water into the slope.

**Recommendation 3:**  
**There should be no new retention policy to allow deviation from building bye-laws.** Over the last twenty years, retention policies, guidelines, compounding rules have been introduced at least seven times for significant deviation from building bye-laws. This has not only allowed but also encouraged unsafe construction in Shimla. There should be a complete and permanent moratorium on allowing such deviations in the future. There should be no discretionary provisions with regards to application of building bye-laws. New buildings that do not follow that building bye-laws must be demolished at owner's expense and neither the Government nor the legal institution should have any discretion for ratification for any such building.

**Recommendation 4:**  
**Improve coordination between institutions responsible for land use planning and building bye-laws.** Currently building byelaws are developed by Town & Country Planning office (TCPO) and these supersede the building construction rules (if any) of Municipal Corporation. Building byelaws are approved by TCPO and Municipal Corporation has the responsibility for implementation. Coordination between the TCPO and the Municipal Corporation needs to be improved.

**Recommendation 5:**  
**Streamline the building approval process by introducing an electronic building permit system, to**

**bring about greater transparency.** At present, the building approval process has many loopholes. Completion certificates are granted at different steps of construction process compromising the overall safety of the building. This is one of the reasons for proliferation of soft stories in the building stock of Shimla. We recommend **structural design** of all buildings greater than 2 stories to be peer reviewed. As Municipal Corporation does not have strength and capacity to check every design, it is suggested to establish a panel of practicing engineers for the review of structural designs. It may also be necessary to provide additional capacity (qualified manpower) to the Municipal Corporation. It has been observed that most of the buildings in the town are located in geomorphologically unsafe areas. It is strongly recommended that new construction in these areas should be preceded by a **Geological Feasibility Report** by a qualified Geologist. For any State Government building, the report must be vetted by Geologists employed by the Central Government.

**Recommendation 6:**  
**Make certain measures mandatory for building safety.** While the provisions of the BIS codes for earthquake safety should be strictly enforced, based on an analysis of the current building practice in Shimla, a few 'non-negotiable' measures should be identified and made mandatory. These may include a combination of the following: sheer walls, no soft stories allowed in lower and intermediate floors without adequate strengthening measures; and minimum standards for detailing in reinforced concrete frame buildings.

**Recommendation 7:**  
**Identification of no new construction areas.** Areas

शेष पृष्ठ 6 पर

# क्या एनजीटी के फैसले पर

पृष्ठ 5 का शेप

classified as High Sinking Prone area (covering Lakkar Bazar, including Central School extending Auckland Nursery School and extending down below upto Dhobighat below the Idgah Electric Substation) and Sliding area (covering Ladakhi Mohalla, Krishna Nagar, the spurs below the office of the Director of Education and the surrounding areas of Clarks Hotel) must be avoided for any new construction. In order to preserve the ecology of the town and to avoid any further degradation to the heritage area, no new construction in the Heritage Area should be allowed.

**Recommendation 8: On Construction in Green Areas.** No. new construction of any kind or addition to an existing building should be permitted in the Green Areas. The committee observed during the field visit that a few private vacant plots without any green cover or trees are sandwiched between already constructed buildings. Prima facie it appears unfair that these landowners are not able to construct houses on land that was brought for this purpose before the green area notification came into place. However, given the current (extremely poor) status of implementation of building by-laws, we do not feel confident that this will not unleash rampant construction activity on these sites leading to proliferation of unsafe buildings and damage to green areas. Also, any new construction will have its environmental footprint in terms of traffic, waste generation, slope destabilization etc. As opposed to allowing construction in the Green Areas, the boundary of Green Areas should be extended to include adjacent public forest land in the vicinity of green areas. **Reduce Existing Risks**

**Recommendation 9: Undertake a seismic safety analysis and retrofitting of life-line buildings:** As described in Sections above, a large part of the building stock in Shimla is extremely unsafe. It is not possible to make this building stock safe overnight. However, the process needs to be started. It is important to prioritize life-line buildings-hospitals, administrative buildings, schools-in this regard, undertake their assessment and identify structural and non-structural measures for improving their safety. Retrofitting of 5% of current building stock every year combined with strict adherence to building codes in all new buildings will ensure that in two decades majority of the building stock in Shimla will be seismically safe. The beginning needs to be made now.

**Recommendation 10: Relocating Institutions:** Shimla is home to several state and national level institutions. Some of these institutions were established in Shimla decades ago perhaps to take advantage of its favourable climate. Shimla offers few, if any, other locational advantages to these institutions. However, the presence of these institutions burdens the already overwhelmed carrying capacity of Shimla. The Committee recommends that over a period of next ten years, the

government gradually relocates all such institutions, that do not have to essentially be in Shimla by virtue of State Government institutions) and the country (in case of Central Government institutions).

**Recommendation 11: Decongesting Shimla:** Some part of Shimla, most notably Sanjauli and Dhali, are so over-built that in case of an earthquake even extrication of dead bodies and injured person will be problematic. The State government must initiate a scheme that would provide incentives for owners of existing buildings to systematically demolish some of the most vulnerable buildings and relocate to safer areas. This will require establishment of qualified technical teams including structural engineers, geotechnical engineers, town planners and community organizers to undertake site-specific studies and suggest specific measures for decongestion. Shimla has the opportunity to set an example for other cities in the country. **Increase Emergency Response Capacity.**

**Recommendation 12: Upgrade the capacities of Shimla Fire Service:** As described in Situation Analysis above, the current capacities of the Fire Service are severely limited, which leaves a large part of Shimla under-served in normal times. This will get worse in a major disaster. Therefore, there is a need to do a systematic analysis of their current capacities and invest in enhancing their preparedness and capacities. **Recommendation 13: Community preparedness:** Building on the excellent work of the municipal corporation of Shimla, it is important that preparedness of communities at the Ward Level and below is enhanced. The Ward Level disaster preparedness plans need to be practiced and updated regularly. Since communities themselves will be first responders, there is a need for providing basic search and rescue training as well as some basic equipment to the community level workers. **Recommendation 14: City level disaster preparedness planning:** The city disaster response plan needs to be practiced and updated. This needs to take into account provision of open spaces, emergency water supply, access to emergency services, emergency communication system etc. in different parts. We recommend that city of Shimla hold a similar mock exercise every year.

**3.2 Recommendation on Mobility** Widening & maintenance of Shoghi-Mehli Bypass road for movement of traffic bound for upper Shimla must be prioritized.   
► Widening of all city roads so as to increase their carrying capacity, constructing walls and covered drains so as to increase the effective carriageway for vehicles.   
► Construction of new bus stand at Dhali in place of HRTC workshop.   
► The private mechanical workshop running along roadsides at panthaghathi, Vikasnagar, Sanjauli, Dhali, Kacchighathi & Bhatta Kufar Etc. need to be shifted to the outskirts of Shimla City to

prevent congestion on Roads.   
► Encouraging use of public transport system (buses) by private schools.   
► Heavy buses of HRTC plying within the city need to be replaced with small buses because of their faster movement

► construction of multi-storey parking near H.P. Secretariat, Chakker, D. C. Office, New Shimla Kasampati Commercial complex Panthaghathi, Vikasnagar, Mehli, Boileauganj, Totu, Sanjauli, Tara Devi, Hospitals & Schools etc.   
► Construction of Multi-storey parking complexes near Tata Devi, Tutu, Boileauganj and Dhali can help tourists and daily commuters to park their vehicles there and visit Shimla by buses. This will help reduce PCUs drastically.   
► Approval of building maps by M.C./TCP must ensure parking floor/ provision. The same should be strictly enforced.   
► Making all major as well as other roads free from road-side parking, be it on payment basis or otherwise. This will help in utilizing roads to their optimum capacity and also reduce traffic plus accidents. Idle Parking of vehicles on the roads/ streets should be prohibited.   
► To remove all condemned vehicles, debris building material from roads.   
► Shifting of grain mandi & sabzi mandi from Core Area.   
► Heavy buses of HRTC plying within Shimla City need to be replaced with small sized buses.   
► To improve important junctions particularly Crossing near Tuti Kandi, Khalini Chhota Shimla Panthaghathi, Sanjauli Boileauganj, Totu etc.   
► Town and Country Planning Department/ Municipal Corporation has been allowing additional floor as parking floor. It is mostly seen that such floors either were not earmarked or converted to residential floor illegally. Concerned departments must take steps to create/ recover the parking floors in the houses abutting the roads.   
► To improve and provide pedestrian paths along vehicular roads.   
► To provide traffic lights, zebra crossings and foot bridges wherever feasible.   
► Proposals given in the Comprehensive Mobility Plan for Shimla City prepared under JNNURM should be implemented.   
► A fast track Public Transport System needs to be put in place at the earliest. While private vehicles should be taxed in various respects public transport should be almost free so as to relieve the city roads from ever increasing number of PCUs.   
► PSD/MC Shimla must create lay-byes on the main roads for parking of buses/trucks especially near the bus-stop so that traffic movement does not come to stand still.   
► The GoHP must take every measure to reduce use of personal vehicles as they severely choke the road and the parking areas. The solution does not lie in creating more and more of parking areas, but in reducing the number of personal vehicles for individual's mobility. The GoHP should encourage through appropriate policy, cab aggregators like Ola/Uber for mobility of people. The cabs have vehicle utilization

factor of nearly 50% as against only 5% of personalized vehicles. Therefore, one cab can displace nearly 10 personalized vehicles from the road and parking areas. The GoHP can demand the cab aggregator to provide electric vehicles as cabs with adequate number for better swapping stations. Aggregators' cabs are available within 10 minutes of call and are found to be much cheaper compared to individual transportation. An electric cab will be more cheaper to people.

**3.3 Recommendation on Water Supply System:**

**Recommendation 1: Addressing the Present Status of Water Supply:** With regards to addressing the present status of water supply, the committee would like to present three sub-recommendations:

a) The first priority should be to **improve the current bad situation** of water supply in Shimla. Water distribution system is inefficient as reflected in 40-50 % water losses in the for of NRW. Other immediate and short term measures such as reduction of losses of water treatment plants & waster distribution lines, replacing old energy inefficient pumps, mapping and hydraulic modelling of water distribution system, water leak detection and timely repair, improved complaint redressal system, metering of build and commercial users, public awareness for judicious use of water etc. should be implements.

b) **Water and energy audit** should be first completed for operationalizing immediate and short term measures. Water theft and ghost pipes should be identified and users should be severely penalized and their connections should be discontinued. Activities requiring substantial quantity of water such as swimming pool, water sports etc., should be minimized, particularly in summer season. It may be possible to price water supplied to commercial establishments including hotel etc. differently at higher rate. Such resorts/hotels should be encouraged to install decentralized greywater/ sewage treatment plants and treated greywater / sewage should be used for non-potable purposes; and

c) It is necessary to prepare an **auto-cad map of entire water distribution system.** In addition, pipeline crossing sewer, drains, roads having heavy traffic etc. should be appropriately mapped as they are potential hazard sources.

**Recommendation2: Address Increasing Water Demand:** Water demand in Shimla is expected to grow from present 62 MLD to 106 MLD by 2050. Uncontrolled growth coupled with unauthorized constructions, appear to be one of the key reasons even for present water & wastewater related situations. Therefore, the same must be checked strictly and possible stopped immediately, otherwise the proposed interventions/projects involving huge investments will not bear desire results.

**Recommendation 3: Water Resources-Catchment area protection:** The anthropogenic activities namely, overgrazing collection

of fuel, fodder, timber and expansions of orchards in the higher elevations have caused rapid depletion of forests due to which catchment efficiency is compromised. Catchment degradation needs to be immediately stopped. Watershed management practices should be encouraged to improve water availability in the rivers and springs. The anthropogenic activities viz., overgrazing, collection of wood as fuel, fodder, timber and expansions of orchards in the higher elevations must be stopped, which has led to the depletion of forests. The natural forests need to be protected and the forest cover should be increased through plantations of natural species of that area. Degraded land must be rejuvenated scientifically. There is a need to increase the forest cover through plantations of broad leaved species for example, *Quercus leucotrichopora*, *Quercus floribunda*, *Cornus macrophylla*, *C. capitata*, *Toona*, *serrata*, *Aesculus indica*, *Persea duthiei*, *Prunus cerasoides*, *Fraxinus micrantha* and *Alnus nitida* and coniferous species such as *Cedrus deodara*, *Pinus wallichiana* and *Picea smithiana* in the degraded forests, habitats, agroforestry systems, barren and landside areas by the local communities in collaboration with Forest Department and relevant R & D organization. Other location specific natural species can also be selected. Nursery of the relevant species at different elevations needs to be developed for ensuring the quality planting material, Bio JV engineering techniques using local species including tussock forming grasses for checking the water runoff, soil erosion and siltation in the degraded areas need to be applied. For the conservation of rain water and snow water and checking the soil erosion, trenches may be developed on the slopes. Rain water harvesting should be mandated. The natural forests need to be protected and monitored regularly. Protection of forest areas and plantations from seasonal fires should be ensured. Crate walls and stone walls need to be erected in landslide and flood prone areas to check the soil erosion, landslide and siltation. Education and awareness programmes for the conservation of ecosystems of the water for the inhabitants are urgently required. These practices would help in the restoration of natural habitats, increasing the water recharge, and as a whole in the conservation of ecosystems and environment of the Watershed.

**Recommendation 4:** It would be essential to declare the catchment areas of the five water sources as ecosensitive zone under the Environment (Protection) Act, 1986 with a detail list of negative and positive activities for preservation and rejuvenation of the catchment areas that support the water sources. These catchment areas are actually water sanctuaries.

**Recommendation 5: Upgradation of water treatment plants & water distribution system:** WTPs

शेप पृष्ठ 7 पर



# क्या एनजीटी के फैसले पर

पृष्ठ 6 का शेप

are very old & water distribution system is inefficient. WTPs at Shimla are very old. Periodic improvement if any done, has been adhoc in nature. Superchlorination to initially maintain chlorine up to 2 mg/l is undertaken in view of reported cases of jaundice recently. However, this may lead to formation of disinfection by products. Hence these DBPs should be monitored and public complaints of poor taste of water should be handled appropriately.

## 3.4 Recommendations on Liquid Waste Management System

### Recommendation 1: Sewage & Storm water management:

**Sewer network 7 Sewage collection efficiency:** SMC issued 27318 domestic water connections and 4900 commercial water connections whereas the total sewerage connections issued were only 13752. This implies that more than 50% households do not have sewer network connection. The city is under served w.r.t. sewer network & collection. The SMC should lay emphasis on providing more sewer network coverage in SMC region as well as peripheral town areas and to make serious efforts to collect 100% of generated sewage. Site specific solutions for effective collection and treatment of sewage should be sought from organization like CSIR- NEERI. The sewage collection systems are mostly old and a regular inspection & maintenance is a must. As planned under the WB and AMRUT schemes, the same be completely changed/ upgraded.

### Sewage Treatment:

► Only 9.65 MLD sewage has been collected and treated in STPs while total designed capacity of existing 6 STPs is 35.63 MLD. The STPs are grossly underutilized. This also indicates that there is need for enhancing sewage collection efficiency.

► It needs to be checked with respect to each STP as to how much sewage is collected and treated. It is possible only some STPs are operational while some other receive sewage. Moreover, it is not clear as to where the uncollected sewage goes and also as to how and where the treated sewage is discharged / managed. The scenario needs to be linked with available health data.

► SMC to engage professional agency/institute for the needful technical guidance on site specific technological solutions for improving efficacy / adequacy of sewage management & treatment. However during the site visit of one of the STPs, it was observed that the STP is overloaded resulting in adverse impact on treatment of sewage. Therefore, collection and treatment needs to be optimized.

**Recommendation 2:** Water availability & Storm Water Drainage & Collection: At present, the maximum available water for Shimla is about 52 MLD against 62 MLD demand. Storm water drainage covering 30% city area exists.

However, SMC indicated in SLIP 2017 v 18 documents that no ongoing drainage projects exist in the city. Shimla being hill region receives approximately 1000mm precipitation annually. If collected, the storm water could be goods supplemental water to the existing water sources. The storm water drainage coverage should be enhanced to capture entire storm water by laying storm water drains in the remaining city areas / adjoining areas. Storm water may be used for agriculture purpose; while adequately treated storm water could be used for different purposes. SMC to engage professional agency/institute for the needful technical guidance on site specific technological solutions for improving efficacy/adequacy of sewage management & treatment. To overcome the problem of choking of storm water drainage, hydrodynamic separators can be used, separators such as CDS, Downstream Defender, Stormceptor, Vortechsetc can be used according to the need. This type of project needs to be taken up on priority as the city does face serious health risks due to water logging. Carrying capacity of these drains is not sufficient and need through design checking. Catchments of the drains improperly selected with respect to their topography. The drains are constructed for longer distances with much lesser gradients than actually required in order to keep the drains at higher level that the water level in the discharging bodies. Thus, these drains are not able to carry the peak flow of the catchment / water shed.

**Recommendation 3: Construction activity versus water 7 sewage infrastructure in Shimla:** Continuing with construction activities would put pressure on the existing urban infrastructure by demanding more water supply & increase in wastewater generation. The major concern is un-authorized constructions, for which even sewage collection system is not in place. The officials informed the team that they are making lot of efforts for collection of sewage from such houses and other buildings using honey sucker and other means. While local site conditions such as vulnerable slopes & sensitive areas need to be considered such as prime factors for preventing further construction in Shimla city; more construction implies more demand for urban infrastructure. Shimla as of now does not have adequate water resources and sewer network and sewage collection efficiency. Further construction would lead to unmanageable pressure on Local Urban Body to provide for enhanced water supply & wastewater collection and management facilities. These issues also need to be addressed fully before considering permissions for further construction in Shimla.

**Recommendation 4:** Sewage collection from areas beyond MC limits and those

not easily accessible: The city of Shimla is expanded uncontrolled and there are significant number of houses and other constructions beyond the MC limits. Some of these areas are deprived of sewage collection facilities, which may have adverse impacts on water bodies/streams. The proposed plans suggest provision of sewage collection and treatment in these areas as well, however the same must be implemented adhering to the scheduled and specifications. During the visit officials told the team that some de-centralized systems are also being explored for the places where sewage collection is not feasible. However, most of these localities are those with unauthorized constructions without any adequate access.

**Other issues:** The committee members also visited a lab, attached to STP and was told that there are other labs for regular monitoring of water and treated wastewater quality. However, these labs need upgradation as well as regular maintenance of instruments. There is a slaughter house functional at Shimla and the waste and wastewater generated is being treated. Such facilities also need upgradation to meet future demand. MC officials pointed out the issues of sludge management during the visit of STP. Although the sludge quantity generated is not large, they mentioned that the contractors are not willing to transport or handle the sludge. Sludge digesters can be installed to generate gas fuel which can be used including that for heating of digester in winter. There are advanced options available for sludge drying and utilization and the same should be explored during the proposed projects.

### a. Recommendations on Solid Waste Management

Shimla city looked visible clean as no garbage was seen littered during the visit showing the efforts of MC and good inspection of various rules. Door-to-Door collection together with User Fee scheme is functioning very well. Though no polybag was found littered anywhere on the roads or hill slopes, given that waste is not segregated at source as required under the Solid Waste Management Rules, 2016 into three streams, viz. (i) Bio-degradable Wet Waste; (ii) Recyclables and Non Bio-degradables; and (iii) Domestic Hazardous waste, many recyclables waste get soiled rendering them unfit for recycling. Sanitary napkins and diapers are not packed in different pouches for incineration. Segregation of domestic hazardous waste at source would eliminate toxic elements and heavy metals from the waste which would result in good quality compost. Decentralized treatment of wet waste will reduce transportation cost and thus the carbon foot prints, air pollution and less diesel smell as well. As per the rule, there should be no landfills in the hilly areas and old landfills

need to be capped scientifically. NEERI in its report recommended that 'The paper and plastic content of the waste at all the dumping sites is high. Due to comparatively higher moisture content of the solid wastes at all the four disposal sites, the wastes may not be suitable for its use as a material for refused derived fuel (RDF)'. Still the Govt. of HP decided to go ahead with W2E plant which is making RDF first. The viability of the plant is doubtful. **NEERI further recommended** that 'the groundwater and surface water quality may get highly polluted in near future. Hence, a scientific way of waste management and handling; and engineered waste processing and disposal would be required to be carried out on priority.

### Recommendations:

Following are the recommendations of improving solid waste management in Shimla city-

i.) Shimla should start waste segregation at source, into three streams as given above, as per the Solid Waste Management Rules, 2016 immediately. They should implement the waste hierarchy and treatment line given in the rules. This would reduce the cost of waste management for Shimla city tremendously.

ii) The parameters such as carbon content, moisture content, C/N ratio and NPK content in the MSW samples indicated that MSW is more suitable for bioprocessing. Therefore, Shimla should recover the energy content of its wet/bio degradable waste through composting/ biomethanation which would be at a very low cost and shall work out to be cheaper than any other technology. Lessons from past composting projects should be learnt and improved composting should be encouraged. Segregation of waste at source would improve the quality of compost as heavy metals present in MSW would be eliminated.

iii) Decentralized composting/ bio-methanation (energy recovery) should be practiced, at least at all commercial establishments, hotels, vegetable and meat markets. Biogas may be used for street/ park lights or for cooking in kitchen.

iv) Expert guidance and proper technology should be taken by MC for composting/ bio-methanation processes. Proper training to the operating staff should be imparted.

v) Public awareness on reduce, reuse, recycle, segregation and house hold composting should be made a regular feature of solid management programme in Shimla and Shimla Planning area.

vi) Health and safety of the sanitation workers should be improved and they should be insisted to wear uniforms, gloves and Gum boots etc. while collecting waste.

vii) All horticulture waste, garden waste, agriculture waste, green leaves should be collected separately and processed in decentralized manner into

manure.

viii) Bio-degradable waste and wet waste should be prohibited for land filling in the city.

ix) Landfill site should not be created in the hilly areas in accordance with the SWM Rules.

x) Only the inert residual waste should be disposed of in sanitary landfill (SLF). This would increase the life of SLF and prompt recycling of the other components of waste.

xi) Storage of waste in open must be stopped as it may cause contamination of both, the ground water and surface water sources due to run off from hills during precipitation. Heavy rainfall may even carry the waste with the flood water. Water pollution may create health hazards to the residents and the tourists as well.

xii) Land filling Tax may be started in Shimla city or Landfill charges may be levied to restrict land filling of waste.

xiii) Environmental Clearance for W2E plant may be taken before commissioning to avoid any violation.

xiv) Chaff from W2E should be utilised for brick making or road making or should be disposed of at the secured landfill.

xv) The dry or non-biodegradable waste such as paper/ plastic, rubber, metal, glass etc. should be sent to the authorized recyclers; for its use in manufacturing.

xvi) The rural areas must have such set up on self-sustaining basis. It could be on the lines of the Society functioning within M.C. Shimla.

xvii) SADAs and the Gram Panchayats should jointly work together to address this issue.

xviii) Abandoned Landfill should be either mined and waste may sent to the W2E plant or should be capped scientifically, as per the SWM, 2016 Rules and guidelines of CPCB&MUD. This is supported by the study of NEERI also that reports that the groundwater quality and surface water quality may get highly polluted in near future. Hence, a scientific way of waste management and handling; and engineered waste processing and disposal should be carried out on priority.

xix) C&D waste recycling plant should be set up as soon as possible.

xx) Plastic Waste Management Rules, 2016 should be implemented so that plastic waste goes for recycling rather than to W2E plant.

xxi) State Pollution Control Board should enforce Bio-Medical Waste Rules, 2016 immediately and organize training for HCFs for segregation of their waste and proper disposal. They should monitor HCFs regularly and more vigorously. For monitoring, one outside expert from a good institution should be involved.

xxii) It needs to be ensured that no Bio-Medical waste gets mixed up with the solid waste, for this random checks should be carried out by both SPCC and MC by opening the bags at the HCFs itself.

xxiii) The subject of solid waste management should be included in the curriculum for schools.

क्रमशः

# क्या भाजपा के आरोप पत्र पर जांच हो पायेगी विजिलैन्स की कार्यप्रणाली से उठा सवाल

**शिमला/शैल।** भाजपा के आरोप पत्र पर विभिन्न विभागों ने उनसे जुड़े आरोप पत्रों पर अपनी टिप्पणीयाँ विजिलैन्स को भेज दी हैं। विजिलैन्स इन टिप्पणीयों की समीक्षा करके जिने मामलों को जांच के योग्य पायेगा उनपर प्रारम्भिक जांच करके सरकार को अगली कारवाई की अनुमति के लिये भेजेगा। उसके बाद सरकार तय करेगी कि किन आरोपों पर एफआरआई दर्ज करने की अनुमति देनी है या नहीं देनी है। आज तक विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस या भाजपा ने जितनी बार भी आरोप पत्र सौंपे हैं उन पर सत्ता में आने के बाद जांच को लेकर इसी तरह का चलन रहा है। इस चलन के कारण ही आज तक भाजपा या कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद किसी भी आरोप को अन्तिम अंजाम तक नहीं पहुँचाया है। बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि सत्ता में आने के बाद आरोप पत्र तैयार करने वाली कमेटीयों को भी याद नहीं रहता कि उन्होंने कौन से आरोप लगाये थे और उनमें से कितने सही पाये गये हैं या कितने गलत साबित हुए हैं। आरोप पत्र तैयार करने वाली कमेटीयाँ अपने आरोपों की सत्यता प्रमाणिक के प्रति कितना सजग होती है इसका आकलन भाजपा के ही आरोप पत्र से लगाया जा सकता है।

इस आरोप पत्र में पशुपालन विभाग में देवा खरीद को लेकर आरोप लगाये गये हैं। उस समय पशुपालन विभाग अनिल शर्मा के पास था और आज अनिल जयराम सरकार ने भी संत्री हैं इसलिये यह आरोप अलग से चर्चा का विषय बन गये हैं। लेकिन इन आरोपों की व्यवहारिक सच्चाई यह है कि जिन चौदह कंपनियों को खिलाफ आरोप लगे थे उनकी जांच कांग्रेस सरकार के दौरान ही हो गयी थी और जो भी कारवाई कानून के अनुसार बनती थी उसको अंजाम दे दिया गया था। इस कारवाई का अनुमोदन उस समय मुख्यमंत्री ने भी किया हुआ है। बल्कि अब जयराम सरकार के समय में भी यह कारवाई की रिपोर्ट वर्तमान पशुपालन मन्त्री के पास भी गयी है और उन्होंने भी इसे स्वीकार कर लिया है। विजिलैन्स को भी यह रिपोर्ट जा चुकी है। इसी तरह परिवहन निगम में बस खरीद को लेकर आरोप लगाया गया है। लेकिन यह मामला एक बार उच्च न्यायालय तक जा चुका है। उच्च न्यायालय ने इन खरीद को लेकर अपनाई गयी प्रक्रिया को एक सही पारदर्शी ठहराया है। इस नाते परिवहन निगम और पशुपालन विभाग को लेकर लगाये यह आरोप कहीं नहीं टिक पायेगे। लेकिन इन आरोपों को लेकर अब विजिलैन्स ने सरकार को इस वस्तुस्थिति की सूचना नहीं दी है इससे विजिलैन्स की कार्यशैली पर पहले ही प्रश्नचिह्न लग जाता है।

इससे भी हटकर एक बड़ा सवाल तो यह है कि भाजपा के आरोप पत्र को लेकर जांच की कोई समय सीमा तय नहीं की गयी है जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने ललित कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में 2008 में जांच को लेकर स्पष्ट जांच निर्देश जारी किये हुए हैं। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने जारी किये हैं। जो

अपने में अब कानून बन चुके हैं। इन निर्देशों के मुताबिक जिस भी शिकायत से संज्ञेय अपराध का बोध होता हो उसमें तुरन्त प्रभाव से एफआरआई दर्ज किया जाना अनिवार्य है। यदि किसी कारण से जांचकर्ता अधिकारी आयी हुई शिकायत पर प्रारम्भिक जांच करना भी चाहे तो उसे यह जांच सात दिन के भीतर पूरी करनी होगी। प्रारम्भिक जांच इसमें संज्ञेय अपराध का बोध होता है या नहीं। यदि जांचकर्ता की नजर संज्ञेय अपराध का बोध नहीं होता है तो जांच अधिकारी को इसके कारण लिखित में 'रिकार्ड' करते हुए शिकायतकर्ता को इसकी सूचना देनी होगी और यह सब कारवाई सात दिन के भीतर पूरी हो जानी चाहिये। ऐसा न करने वाले अधिकारी के खिलाफ भी कारवाई किये जाने के निर्देश किये गये हैं। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि Conclusion/Directions:

111) In view of the aforesaid discussion, we hold:

i) Registration of FIR is mandatory under Section 154 of the Code, if the information discloses commission of a cognizable offence and no preliminary inquiry is permissible in such a situation.

ii) If the information received does not disclose a cognizable offence but indicates the necessity for an inquiry, a preliminary inquiry may be conducted only to ascertain whether cognizable offence is

disclosed or not.

iii) If the inquiry discloses the commission of a cognizable offence, the FIR must be registered. In cases where preliminary inquiry ends in closing the complaint, a copy of the entry of such closure must be supplied to the first informant forthwith and not later than one week. It must disclose reasons in brief for closing the complaint and not proceeding further.

iv) The police officer cannot avoid his duty of registering offence if cognizable offence is disclosed. Action must be taken against erring officers who do not register the FIR if information received by him discloses a cognizable offence.

v) The scope of preliminary inquiry is not to verify the veracity or otherwise of the information received but only to ascertain whether the information reveals any cognizable offence.

vi) As to what type and in which cases preliminary inquiry is to be conducted will depend on the facts and circumstances of each case.

The category of cases in which preliminary inquiry may be made are as under:

- Matrimonial disputes/ family disputes
- Commercial offences
- Medical negligence cases
- Corruption cases
- Cases where there is abnormal delay/laches in initiating

criminal prosecution, for example, over 3 months delay in reporting the matter without satisfactorily explaining the reasons for delay.

The aforesaid are only illustrations and not exhaustive of all conditions which may warrant preliminary inquiry.

vii) While ensuring and protecting the rights of the accused and the complainant, a preliminary inquiry should be made time bound and in any case it should not exceed 7 days. The fact of such delay and the causes of it must be reflected in the General Diary entry.

viii) Since the General Diary/ Station Diary/Daily Diary is the record of all information received in a police station, we direct that all information relating to cognizable offences, whether resulting in registration of FIR or leading to an inquiry, must be mandatorily and meticulously reflected in the said Diary and the decision to conduct a preliminary inquiry must also be reflected, as mentioned above.

सर्वोच्च न्यायालय के इन निर्देशों की यदि ईमानदारी से अनुपालना की जाये तो सही मायने में भ्रष्टाचार पर लगाम भी लगायी जा सकती है और फर्जी शिकायतों को भी रोका जा सकता है लेकिन विजिलैन्स इन निर्देशों के अनुसार कारवाई ही नहीं कर रही है। जयराम सरकार ने धर्मशाला में मन्त्रीमण्डल की पहली ही बैठक में बीवरेज कारपोरेशन में हुए घपले की जांच करवाये जाने का फैसला लिया था। इसमें सीधे-सीधे संज्ञेय अपराध का बोध होता है लेकिन इस

मामले में अभी तक कोई एफआरआई दर्ज नहीं हो पायी है। इस तरह अब तीन सहकारी बैंकों को लेकर मामला विजिलैन्स में गया है। इसमें भी जो आरोप हैं उनसे सीधे संज्ञेय अपराध का बोध बनता है। यह मुख्य सचिव और मुख्यमन्त्री की अनुशंसा से गृह विभाग से होकर विजिलैन्स को गया है। इसमें सारे दस्तावेजी सख्य विजिलैन्स को भेजी रिपोर्ट के साथ संलग्न है। प्रारम्भिक जांच में भी दस्तावेज ही जुटाये जाते हैं। जो इस रिपोर्ट के साथ पहले से ही मौजूद हैं लेकिन इस मामले में भी विजिलैन्स ने अब तक एफआरआई दर्ज नहीं की है क्योंकि गृह विभाग ने अपनी ओर से एफआरआई दर्ज करने के निर्देश जारी नहीं किये हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गृह विभाग और विजिलैन्स को सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा जारी किये गये निर्देशों की जानकारी ही नहीं है या फिर विजिलैन्स किसी तरह से इन मामलों को टालना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक विजिलैन्स के पास ऐसी कई शिकायतें वर्षों से लविट हैं। जिन पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार मामले दर्ज होकर अब तक अन्तिम फैसले भी आ जाने चाहिये थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इससे विजिलैन्स की नीयत और नीति दोनों पर गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। इस परिदृश्य में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या भाजपा के इस बहुचर्चित आरोप पत्र पर सही में कोई जांच हो पायेगी या यह एक जुमला बनकर ही रह जायेगा।

## क्या एचपीसीए के मामले वापिस होंगे

**शिमला/शैल।** जयराम सरकार ने सत्ता संभालने के बाद प्रदेश की जनता और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को यह भरोसा दिलाया कि जिन भी लोगों को खिलाफ राजनीतिक कारणों से आपराधिक मामले बनाये गये हैं उन्हें वापिस लिया जायेगा। ऐसे मामलों में एचपीसीए का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था। एचपीसीए के मामलों के अतिरिक्त एक मामला विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिन्दल के खिलाफ भी लम्बे अरसे से चला हुआ है। इन मामलों को वापिस लेने की दिशा में बिन्दल के मामले में तो पीपी की ओर से विजिलैन्स को लिखित में यह आग्रह भी आ गया था कि इस मामले को वापिस ले लिया जाना चाहिये लेकिन जब यह आग्रह आया तो उसके बाद संयोगवश उस पीपी का ही तबादला हो गया। उसकी जगह नया पीपी आ गया और उसकी राय बदल गयी। उससे मामला वापिस लेना लिया जाना चाहिये की सिफारिश कर दी। अब इस पर विजिलैन्स की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया है और बिन्दल का मामला यथावत अदालत में चल रहा है।

एचपीसीए का मामला तो सर्वोच्च न्यायालय तक जा पहुँचा है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालत में चल रह ट्रायल को स्टे कर रखा है। इसमें एचपीसीए ने सर्वोच्च न्यायालय से यह

आग्रह किया हुआ है कि इस मामले में दर्ज एफआरआई को रद्द किया जाये। इस आग्रह का आधार यह बताया गया है कि यह मामला विशुद्ध रूप से राजनीति से प्रेरित है। स्मरणीय है कि सर्वोच्च न्यायालय में पहले एचपीसीए ने यही आग्रह प्रदेश उच्च न्यायालय से भी किया था। लेकिन उच्च न्यायालय ने इस आग्रह को अस्वीकार कर दिया था। उच्च न्यायालय को अस्वीकार के बाद एचपीसीए अपील में सर्वोच्च न्यायालय गयी थी। यह सब वीरभद्र सरकार के दौरान हुआ था। अब प्रदेश में भाजपा की सरकार है और एचपीसीए के प्रमुख रहे अनुराग ठाकुर भाजपा के न केवल सांसद ही हैं बल्कि लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक भी हैं। ऐसे में जब अब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के लिये आया तब एचपीसीए की ओर से पुनः यह दोहराया गया कि यह मामला राजनीति से प्रेरित रहा है और राज्य सरकार इसे वापिस लेना चाहती है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी संभवतः यह स्पष्ट कर दिया था कि जब सरकार इसे वापिस लेना चाहती है तो अदालत को इस पर कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन सरकार की ओर से अब तक इस मामले को वापिस लेने की दिशा में कोई व्यवहारिक कदम नहीं उठाया गया है।

मामला वापिस लेने के लिये सरकारी वकील की ओर से सीआरपी

सी की धारा 321 के तहत आग्रह का आवेदन आना चाहिये था फिर इस आवेदन को सरकार अनुमोदन करती तथा सरकार के इस अनुमोदन की अधिकारिक जानकारी सर्वोच्च न्यायालय में रखी जाती तथा इसके आधार पर एचपीसीए सर्वोच्च न्यायालय से मामला वापिस लेती। तब सर्वोच्च न्यायालय से मामला वापिस हो जाने के बाद पुनः ट्रायल कोर्ट में आता और फिर वहां पर 321 के आग्रह को रखा जाता। लेकिन व्यवहारिक तौर पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एचपीसीए को सर्वोच्च न्यायालय में फिर से यही आग्रह करना पड़ा कि यह मामला राजनीतिक से प्रेरित रहा है तथा इसमें दर्ज हुई एफआरआई को रद्द किया जाये। अब सर्वोच्च न्यायालय में इस पर क्या घटना है इसका पता तो आने वाले समय में ही लगेगा। यदि इसमें दर्ज एफआरआई रद्द नहीं हो पाती तो फिर यह मामला ट्रायल कोर्ट में चलेगा।

सरकार ने जब यह कहा था कि राजनीति से प्रेरित मामलों को वापिस लिया जायेगा तब एचपीसीए के मामले में सीआरपीसी की धारा 321 के तहत प्रारम्भिक कारवाई तो की जा सकती थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बिन्दल के मामले में भी दो माह के समय में ही दोनों पीपीए की ओर से दो अलग-अलग राय आ गयी। इसके कारण बिन्दल के मामलों में भी जो होगा वह अदालत में ही होगा। सरकार की ओर से कोई योगदान नहीं रहेगा। यही स्थिति अन्ततः एचपीसीए

में हो गयी है। विजिलैन्स और गृह विभाग का प्रभार स्वयं मुख्यमन्त्री के पास है। इसका सीधा सा अर्थ है कि इन मामलों में जो भी स्टैण्ड विजिलैन्स की ओर से लिया जा रहा है वह पूरी तरह मुख्यमन्त्री की जानकारी में है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जयराम सरकार इन मामलों को राजनीति से प्रेरित नहीं मानती है और अदालत से ही इन पर फैसला चाहती है। लेकिन एचपीसीए में जिन अधिकारियों प्रासिकयून सैनिक सरकार की ओर से अस्वीकार की गयी है उनके मामलों में भी एक कानूनी पेच उलझता नजर आ रहा है। क्योंकि अनुमति के मामले पर विचार होने से पहले ही अदालत ने मामले का संज्ञान लेकर इसे ट्रायल योग्य मान लिया था। फिर उच्च न्यायालय ने भी जब एफआरआई रद्द करने के आग्रह को अस्वीकार कर दिया था तब उस पर बड़ा विस्फोट फैसला आया था। अब यदि किसी कारण से यह मामला ट्रायल कोर्ट में आ ही जाता है तो इस पर उच्च न्यायालय के फैसले का प्रभाव अवश्य रहेगा। उस समय ट्रायल कोर्ट को भी 321 के तहत आये आरोप को स्वीकार कर पाना बहुत आसान नहीं होगा। इस परिदृश्य में इन मामलों का राजनीतिक प्रतिफल बहुत महत्वपूर्ण होता नजर आ रहा है जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव सत्तापक्ष पर ही पड़ेगा।